उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या- 7/2015/ए-131/22-4-14-48(60)/12

लखनऊ : दिनांक-15 जनवरी, 2015

विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या- 1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत **केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद** के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को गैर सरकारी जेल वीक्षक नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय।

1- श्री शिव कुमार यादव पुत्र श्री रामनरेश यादव, निवासी-ग्राम-समसपुर, पो0-सोरांव, थाना-होलागढ, इलाहाबाद।

2- श्री सैय्यद वकार अब्बास नकवी पुत्र स्व0 सेयर नजर अब्बास नकवी, निवासी- 42/82 दरियाबाद, इलाहाबाद।

3- श्री प्रशान्त यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव, निवासी-803 जी0टी0बी0 नगर करैली, इलाहाबाद।

4- श्री श्याम भूषण शुक्ल पुत्र श्री चन्द्रमा प्रसाद शुक्ल, निवासी- ग्राम-बरहुअला कला, विकास खण्ड कोरांव, इलाहाबाद।

एस0के0रघुवंशी
सचिव

संख्या-7/2015/ए-131(1)/22-2-4-14-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्0 इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार,नैनी, इलाहाबाद।

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in